जनपद शामली पुलिस

--सोशल मीडिया सेल शामली--

प्रेस विज्ञप्ति दिनांक 01.06.2024

प्रेस नोट

थाना कोतवाली शामली पुलिस द्वारा दुष्कर्म एवं अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति निवारण अधिनियम के अन्तर्गत वांछित 01 अभियुक्त गिरफ्तारः-

आज दिनांक 01.06.2024 को पुलिस अधीक्षक शामली श्री अभिषेक के आदेशानुसार चलाये जा रहे महिलाओं के विरूद्ध अपराध की रोकथाम एवं महिला अपराधों से संबंधित वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी अभियान के अनुपालन में अपर पुलिस अधीक्षक शामली के निर्देशन तथा क्षेत्राधिकारी नगर के कुशल नेतृत्व में थाना कोतवाली शामली पुलिस द्वारा युवती के साथ दुष्कर्म करने व जाने से मारने धमकी देने तथा जाति सूचक शब्द बोलने के मामले में वांछित अभियुक्त को गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की है। गिरफ्तारी के सम्बन्ध में थाना कोतवाली शामली पर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

ज्ञात हो कि दिनांक 29.05.2024 को थाना कोतवाली शामली क्षेत्रान्तर्गत युवती द्वारा उसके साथ दुष्कर्म कर जाने से मारने धमकी देने तथा जाति सूचक शब्द बोलने के सम्बन्ध में थाना कोतवाली शामली पर लिखित तहरीर दी गयी थी। दाखिला तहरीर के आधार पर थाना कोतवाली शामली पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया था तथा पुलिस अधीक्षक शामली द्वारा अभियुक्त की शीघ्र गिरफ्तारी हेतु क्षेत्राधिकारी नगर व थाना प्रभारी कोतवाली शामली को निर्देशित किया गया था।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पताः-

1. सोनू उर्फ अब्दुल रहमान पुत्र जहूर हसन निवासी मौहल्ला अन्सारियान गांधी चौक थाना कोतवाली शामली जनपद शामली।

<u>थाना आदर्श मण्डी पुलिस द्वारा कोतवाली शामली क्षेत्रान्तर्गत जानलेवा हमले करने के मामले में वांछित 01 अभियुक्त गिरफ्तार,</u>

आज दिनांक 01.06.2024 को पुलिस अधीक्षक शामली श्री अभिषेक के आदेशानुसार चलाये जा रहे अपराध की रोकथाम एवं अपराध में लिप्त अपराधियों की गिरफ्तारी अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक शामली के निर्देशन एवं क्षेत्राधिकारी नगर के निकट पर्यवेक्षण में थाना आदर्श मण्डी पुलिस द्वारा जानलेवा हमला करने के मामले में वांछित 01 अभियुक्त को गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की है। गिरफ्तारी के सम्बन्ध में थाना आदर्शमण्डी पर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

ज्ञात हो कि दिनांक 08.09.2023 को वादिया श्रीमती शमीमा पत्नी नसीम निवासी मौहल्ला हाजीपुरा नाला पटरी थाना कोतवाली शामली जनपद शामली के पुत्रों के साथ मौहल्ले के कुछ व्यक्तियों द्वारा मारपीट करने व धारदार वस्तु से हमला करने के सम्बन्ध में थाना कोतवाली शामली पर लिखित तहरीर दाखिल की गयी। दाखिला तहरीर के आधार पर थाना कोतवाली शामली पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया था। जिसकी विवेचना थाना आदर्श मण्डी द्वारा की जा रही है।

<u>नाम व पता गिरफ्तार अभियुक्तः-</u>

1.रिहान उर्फ बौना पुत्र रहीश निवासी मौहल्ला आजाद चौक थाना कोतवाली शामली जनपद शामली।

<u>थाना झिंझाना पर संचालित साइबर सैल की त्वरित कार्यवाही के चलते धोखाधड़ी कर ठगी की गई धनराशि में से 4600 रुपये की धनराशि वापस कराई गईः-</u>

आवेदक जावेद पुत्र जाकिर निवासी ग्राम ख्वाजपुरा थाना झिंझाना जनपद शामली के द्वारा दिनांक 21.04.2024 को किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा परिचित बनकर यूपीआई के माध्यम से 6300 रुपये धोखाधड़ी कर लेने के संबंध मे थाना झिंझाना साइबर सेवा केन्द्र पर ऑनलाइन शिकायत दर्ज करायी गयी थी।

जिसके क्रम में आज दिनांक 01.06.2024 को पुलिस अधीक्षक शामली श्री अभिषेक के निर्देशन में थाना झिंझाना साइबर सैल द्वारा तत्परता से कार्यवाही करते हुए आवेदक के खाते से ट्रांसफर हुई धनराशि 6300/- रुपये की धनराशि में से 4600 रुपये धनराशि आवेदक के खातें में वापस करायी गयी। आवेदक उपरोक्त द्वारा साइबर सैल थाना झिंझाना का आभार व्यक्त किया है।